

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ. 3(ख)/च.वे. 86/अलेसे-II/2021-22 | 828

दिनांक:- 12/11/21

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.20/वित्त/गुप-2/92 दिनांक 25.01.1992, के अनुसरण में श्री रामजीवन मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 9 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का प्रथम चयनित वेतनमान वेतन श्रृंखला (1640-2900) वेतनमान संख्या-13 में स्वीकृत किया जाता है:-

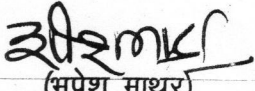
क्र. सं.	नाम (सर्वश्री)/जन्म तिथि	मेरिट नं./लिंक नं.	कार्यग्रहण तिथि मध्याह्न पश्चात्	प्रथम च.वेतनमान स्वीकृति दिनांक	विशेष विवरण
1.	श्री रामजीवन मीणा 05.03.59	730/86 1545	18.07.1988	19.07.1997	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर देय

*उपरोक्त क्रम संख्या 1 पर अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के गत सात वर्ष में से पूरे 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार गत 09 वर्ष में से 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार अथवा आगामी वर्षों में प्राप्त मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार प्रथम चयनित वेतनमान वेतन श्रृंखला (1640-2900) वेतनमान संख्या-13 इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त कार्मिक/कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 30.10.2017 के पैरा 14 (2) एवं आदेश दिनांक 09.12.2017 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें:-

1. पुनरीक्षित वेतनमान 1989 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में प्रथम चयनित वेतनमान स्वीकृति नहीं की गई है।
3. कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित चयनित वेतनमान वेतन देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लंबित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
5. गत 7 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही है।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

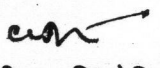

(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांक:- एफ. 3(ख)/च.वे. 86/अलेसे-II/2021-22 | 828

दिनांक:- 12/11/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
2. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I/एपीएआर शाखा)
3. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II
4. निजी सचिव, निदेशक।
5. कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाइट) हेतु।
6. निजी पत्रावली/ रक्षित पत्रावली।


(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)